

**न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर**  
**पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.**

**पत्रावली संख्या : 93/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002**

रिलायंस असेट री कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि. 11वीं मंजिल, नार्थ साइड, आर टेक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, गोरेगांव (ईस्ट), मुंबई-400063 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री परमवीर सिंह

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. नन्दू कंवर पत्नी सायर सिंह

प्रथम पता:-44/1, मुख्य ग्राम सामोता का बास, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान 332411

द्वितीय पता:-पट्टा नं. 766, ग्राम पंचायत ठीकरिया, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर, राजस्थान 332411

2. सायर सिंह पुत्र नान सिंह 44/1, मुख्य ग्राम सामोता का बास, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान 332411

3. चन्द्र प्रताप सिंह पुत्र सायर सिंह 44/1, मुख्य ग्राम सामोता का बास, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान 332411

4. किशोर सिंह शेखावत पुत्र नान सिंह शेखावत 44/1, मुख्य ग्राम सामोता का बास, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान 332411

—अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

**The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.**

**स्वीकृति आदेश**

दिनांक: 18 मई, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री राहुल पारीक द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है

(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः नन्दू कंवर पत्नी सायर सिंह, सायर सिंह पुत्र नान सिंह, चन्द्र प्रताप सिंह पुत्र सायर सिंह व किशोर सिंह शेखावत पुत्र नान सिंह शेखावत की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 766, ग्राम पंचायत ठीकरिया, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर, राजस्थान 332411** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 337 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में छित्तर की भूमि एवं दक्षिण दिशा में आम चौक है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹5,00,000/-- रुपये (अक्षरे रूपय पांच लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **30.01.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगणों की ओर से वकील श्री नवरंग लाल बीवाल उपस्थित हुए परन्तु बकाया ऋण के भुगतान से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **30.01.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।


(आशीष मोदी)  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **नन्दू कंवर पत्नी सायर सिंह, सायर सिंह पुत्र नान सिंह, चन्द्र प्रताप सिंह पुत्र सायर सिंह व किशोर सिंह शेखावत पुत्र नान सिंह शेखावत** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 766, ग्राम पंचायत ठीकरिया, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर, राजस्थान 332411** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 337 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में छित्तर की भूमि एवं दक्षिण दिशा में आम चौक है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक **18 मई, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(आशीष मोदी)  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर